

उत्तराखण्ड शासन
सहकारिता एवं गन्ना चीनी अनुभाग-1
संख्या- 441 /XIV-1/2018-03(01)2018टी0सी0
हरादून, दिनांक: 02 अप्रैल, 2018

कार्यालय ज्ञाप


'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण, 2017' की धारा 4 एवं 5 में उल्लिखित व्यवस्था के दृष्टिगत निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को एतद्वारा सुगम क्षेत्र घोषित किया जाता है।

(तुलसी राम)
अपर सचिव।

संख्या- 441 /XI/18/3 (01) 2018टी0सी0 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, सहकारिता विभाग/पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड
5. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(तुलसी राम)
अपर सचिव।